सहायक कलक्टर माण्डल

24-1-23 पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थीगण उपस्थित, विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षीगण को तीनबार रूक-रूक कर आवाजे दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नही। इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। वकील प्रार्थीगण का प्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा० प० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 14:07:33 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)

सीन अधिकारी– नारायण लाल जीनगर (आर0ए0एस0)

मा संख्या– 254/22 प्रा०पत्र

ी मन्ना s/o श्री नन्दा भील निवासी गाडरीखेड़ा तहसील माण्डल (भीलवाड़ा)

–प्रार्थी

बनाम

बालु s/o श्री लालुराम कीर निवासी मेजा तहसील माण्डल [वगैरा]
(अंकित प्रा०पत्र संलग्न)

--विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा. अधि. 1956

दिनांक :– 24.1.23

::आदेश::

ी ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन कि ग्राम गाडरीखेड़ा पटवार हल्का मेजा तहसील माण्डल में उसके संयुक्त खाते की आराजी नं. 917/882 कुल किता 01 रकबा 0.6450 स्थित हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये मा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

ार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 12.12.22 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को नार्थ से यह बात सिद्ध हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी कराने का हैं। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते ौकि की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य हैं।

::आदेश::

प्रार्थना पत्र धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम गाडरीखेड़ा पटवार मेजा तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आरजी नं. 917/882 ता 01 रकबा 0.6450 हेक्टयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी ने हेतु पत्थगढ़ी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख मेजा को 500/– रूपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने रान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते ... बिन्दु को आधार त्थगढ़ी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थगढ़ी नहीं की जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 14:07:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख हैं कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार ी जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी